

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक,

जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर

क्रमांक/ 1740/शैक्षणिक-II/एमसीए/2018

दिनांक: 6/8/19

नोटिस

महाविद्यालय में रैगिंग विरोधी समिति द्वारा मीटिंग में लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त विभागाध्यक्ष अपने विभाग के समस्त चिकित्सक शिक्षकों को निर्देशित करें कि वे एमबीबीएस की समस्त कक्षाओं के प्रारंभ में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के रैगिंग की रोकथाम और निषेध विनियमावली-2009 के नियम-8 के दण्ड के प्रावधानों एवं रैगिंग की रोकथाम के उपायों के बारे में निम्न प्रावधानों का वाचन नियमित रूप से करें :-

“इस संस्था में रैगिंग पूर्णतः निषेध है यदि कोई रैगिंग करने एवं उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया जाता है अथवा रैगिंग प्रचार के षडयन्त्र में दोषी पाया जाता है तो अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे विनियम के दण्ड के निम्न प्रावधानों में से कोई एक अथवा अने दण्ड व देश में लागू कानून के अनुसार दण्डित किया जायेगा :-

- कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकार से निलम्बन।
- छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना / वंचित करना।
- किसी टेस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।
परीक्षाफल रोकना
- किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना। छात्रावास से निष्कासित करना।
प्रवेश रद्द करना।
- संस्था 01 से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना। (प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर)
- संस्था से निष्कासित और परिणाम स्वरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासन करना जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

सब मिलकर रैगिंग की इस कुप्रथा को समूल स्पष्ट करने हेतु संकल्प लें कि रैगिंग न लेगे न होने देंगे :-

क्रमांक/ 40360-95/शैक्षणिक-II/एमसीए/2018

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक
दिनांक: 6/8/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग ग्रुप - 1, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव एवं कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, पाकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली।
4. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर राजस्थान।
5. अतिरिक्त निदेशक(शैक्षणिक), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर राजस्थान।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक समस्त मेडिकल कॉलेज, राजस्थान। (CRIMES COLLEGE 2018)
5. कुलसचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष इस महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि अपने अधीन संचालित समस्त कक्षाओं में पी. जी./यू.जी. पैरामेडिकल इत्यादि में उक्त वाचन कर विद्यार्थियों को बतायें
7. समस्त सदस्य एन्टी रैगिंग समिति इस महाविद्यालय को
8. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नोटिस को महाविद्यालय की वेबसाईट पर चर्या करें।
9. निजी सहायक, प्रधानाचार्य इस महाविद्यालय को